"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 248] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 सितम्बर 2010—भाद्र 26, शक 1932

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2010

क्रमांक 24/चार/वि.स.उप-चु./2010/1267.—भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली के निदेश संख्या 576/3/ई.व्ही.एम./2010/एस.डी.आर.. (वि.स.), दिनांक 10 सितम्बर, 2010 वि.स.निर्वाचन क्षेत्र 05-भटगांव विधान सभा उप चुनाव-2010 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के प्रयोग का राज्य के शासकीय राजपत्र में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

सुनील कुजूर,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक-रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 10 सितम्बर, 2010

निदेश

संख्या 576/3/ई.वी.एम./2010/एस.डी.आर. (वि.स.).—यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 61क में यह उपबंधित है कि मतदान मशीनों द्वारा मत ऐसी रीति से डाले और रिकार्ड किए जाएंगे जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट करे; तथा

2. यत:, आयोग ने 5-भटगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की परिस्थितियों पर विचार किया है, और वह संतुष्ट है कि उपर्युक्त वर्णित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनें उपलब्ध है, तथा मतदान कर्मचारी इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों के दक्षतापूर्वक संचालन करने के लिए प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित हैं;

3. अत:, अब, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ में 5-भटगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को उस निर्वाचन क्षेत्र के रूप में उल्लिखित करता है जिसमें 6 सितम्बर, 2010 को अधिसूचित उक्त राज्य की विधान सभा के लिए चालू उप निर्वाचन में, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन मत निर्धारित रीति से इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों के माध्यम से डाले और रिकार्ड किए जाएंगे जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय-समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किए जाते हैं.

आदेश से,

हस्ता./-
(के. एफ. विल्फ्रेड)
सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 10th September, 2010

DIRECTION

No. 576/3/EVM/2010/SDR (LA).—Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by Voting Machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituency as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case specify; and

2. Whereas, the Commission has considered the circumstances in 5-Bhatgaon Assembly Constituency in Chhattisgarh, and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines are available for taking the poll in the abovementioned Assembly Constituency, the polling personnel are well trained in efficient handling of the Electronic Voting Machines and the electors are also fully conversant with the operation of the Electronic Voting Machines;

3. Now, therefore, the Election Commission of India hereby specifies 5-Bhatgaon Assembly Constituency in Chhattisgarh, as the constituency in which the votes at the current bye-election to the Legislative Assembly of the said State notified on 6th September, 2010, shall be given ans recorded by means of Electronic Voting Machines in the manner prescribed under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Commission from time to time on the subject.

By order,

Sd/-
(K. F. WILFRED)
Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.